



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2012/श्रावण 23, 1934

No. 408]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2012/SHRAVANA 23, 1934

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 632(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटरी नियम, 1956 से उपाबद्ध प्ररूप 2ख में “सक्षम प्राधिकारी (नोटरी) भारत सरकार/सरकार का सचिव”………(राज्य का नाम) शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “संयुक्त सचिव, भारत सरकार/सचिव;”………(राज्य का नाम) सरकार” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(187)/2003-एनसी]

टी. एन. तिवारी, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 467(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 441(अ), तारीख 24 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ), तारीख 1 मई, 2007, सा.का.नि. 686(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2007, सा.का.नि. 51(अ), तारीख 23 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 636(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2008, सा.का.नि. 764(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2008, सा.का.नि. 114(अ), तारीख 24 फरवरी, 2009, सा.का.नि. 700(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2009 और सा.का.नि. 843(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2009, सा.का.नि. 808(अ), तारीख 14 नवम्बर, 2011 और सा.का.नि. 49(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th August, 2012

G.S.R. 632(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Notaries Rules, 1956, in Form IIB, for the words and brackets “Competent Authority (Notaries), Government of India/Secretary to the Government of(Name of the State)”, the words and brackets “Joint Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of(Name of the State)” shall be substituted.

[F. No. 5 (187)/2003-NC]

T. N. TIWARI, Jt. Secy. and Legal Adviser

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14-02-1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated 08-07-1997, G.S.R. 547(E), dated 31-8-1998, G.S.R. 17(E), dated 05-01-2000, G.S.R. 262(E), dated 28-03-2000, G.S.R. 630(E), dated 21-07-2000, G.S.R. 172(E), dated 12-03-2001, G.S.R. 330(E), dated 09-05-2001, G.S.R. 460(E), dated 25-06-2001, G.S.R. 467(E), dated 09-06-2003, G.S.R. 296(E), dated 19-05-2006, G.S.R. 441(E), dated 24-07-2006, G.S.R. 501(E), dated 24-08-2006, G.S.R. 73(E), dated 09-02-2007, G.S.R. 86(E), dated 14-02-2007, G.S.R. 319(E), dated 01-05-2007 read with G.S.R. 330(E), dated 08-05-2007, G.S.R. 686(E), dated 31-10-2007, G.S.R. 51(E), dated 23-01-2008, G.S.R. 636(E), dated 03-09-2008, G.S.R. 764(E), dated 03-11-2008, G.S.R. 114(E), dated 24-02-2009, G.S.R. 700(E), dated 24-09-2009 and G.S.R. 843(E), dated 25-11-2009, G.S.R. 808(E), dated 14-11-2011 and G.S.R. 49(E), dated 25-01-2012.